संख्याः–1321 /XXVII(1)/2016

प्रेषक,

श्रीधर बाबू अद्दांकी,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद–खटीमा,
जनपद–ऊधमसिंह नगर,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 11 नवम्बर, 2016

विषयः– **नगर पालिका परिषद–खटीमा के सेवा निवृत्त कार्मिकों के देयकों तथा कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अग्रिम धनराशि का संकमण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका परिषद–खटीमा के सेवा निवृत्त कार्मिकों के पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं कार्यरत कार्मिकों के वेतन आदि देयताओं के भुगतान हेतु ₹1.00 (₹एक करोड़ मात्र) की अग्रिम धनराशि संकमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अंतरित की जा रही हैः–

1. उक्त निकाय को ₹1.00 करोड़ की धनराशि अग्रिम रूप से संकमित की जा रही है, जिसका समायोजन वर्ष 2017–18 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर मिलने वाली धनराशि से चार बराबर किश्तों में त्रैमासिक आधार पर किया जायेगा।
2. संकमित की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में अन्य शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किसी भी दशा में दृष्टांत के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा और न ही ऐसा किया जाना स्वीकार्य होगा।
3. संकमित धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–388/XXVII/(1)/2012, दिनांकः 23 जुलाई, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्वान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/ समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
4. संकमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
5. नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।
6. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।
7. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

8. सम्बन्धित निकाय की अलोटमेन्ट आईडी संलग्न है।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–192–नगरपालिका/नगर निकाय–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव, वित्त।

संख्याः– 1321(1)/XXVII(1)/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
4– जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– निदेशक, शहरी विकास विभाग, 43/6, माता मन्दिर मार्ग, धर्मपुर, देहरादून।
7– निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8– सम्बन्धित मुख्य/ वरिष्ठ/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– एन0 आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव, वित्त।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary Finance (HOD) (2211)

आवंटन पत्र संख्या -

अलोटमेंट आई डी - H1611070510

अनुदान संख्या - 007

आवंटन पत्र दिनांक -11-Nov-2016

DDO Name - District Magistrate (For Grants)U S Nagar (4183) , Treasury - U S Nagar (7500)

1: लेखा शीर्षक 3604 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपू 01 - नगरीय स्थानीय निकाय

192 - नगर पालिका/नगर निकाय

03 - राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन

00 - राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	125856000	10000000	135856000
	125856000	**10000000**	**135856000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 10000000

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव,
वित्त विभाग
उत्तराखण्ड शासन।